भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश

राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002 (म.प्र.)

दूरभाष : 0755-2661263, 2737446, फैक्स - 2661263

website : bsgmp.net, E-mail: scoutguide_bpl@dataone.in, scoutguide_bpl@hotmail.com

क्र./146/रा.मु./रेखा/2016 दिनांक 18.07.16

आदेश

श्री गजराज सिंह, जिला संगठन आयुक्त, एवं प्रभारी सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट संभागीय कार्यालय सागर एवं वर्तमान में संविदा जिला संगठक स्काउट, राज्य मुख्यालय भोपाल को आदेश क्रमांक 1541–42/2011–12 दिनॉक 28.05.2012 के द्वारा सेवा से पृथक किया गया था।

श्री गजराज सिंह द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध दिनॉक 02.06.2012 को अपीलीय समिति भारत स्काउट एवं गाइड, म.प्र. राज्य मुख्यालय भोपाल के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए उनकी सेवा समाप्ति से संबंधित आदेश 1541–42/2011–12, दिनॉक 28.05. 2012 पर उनका पक्ष सुनकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु निवेदन किया गया था। अपीलिय समिति द्वारा श्री गजराज सिंह के अपील अभ्यावेदन पर उनके द्वारा अपील अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर नियमानुसार समक्ष में सुनवाई का अवसर दिनॉक 24.12. 2012 को प्रदान किया गया ।

अपीलिय समिति द्वारा श्री गजराज सिंह के दण्ड को कम करने हेतु की गई अनुशंसा उपरांत अनुशासनिक अधिकारी भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. द्वारा अपील समिति के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री गजराज सिंह के सेवा समाप्ति के दण्ड को कम करते हुए उन्हें पुनः 10,000/– रू0 के निश्चित मानदेय पर संविदा नियुक्ति जिला संगठक स्काउट, जिला सीहोर में आदेश क्रमांक 201–202/2013 भोपाल, दिनॉक 05.04.2013 से प्रदान की गई।

श्री गजराज सिंह द्वारा उक्त जारी आदेश क्रमांक 201–202/2013 भोपाल, दिनॉक 05.04.2013 के विरूद्ध पुर्नविचार करने हेतु अपना अभ्यावेदन दिनॉक 02.05.2013 को अध्यक्ष अपीलिय समिति को प्रस्तुत किया गया।

उक्त अपील की सुनवाई अपीलिय समिति द्वारा दिनॉक 02.03.2016 को की गई। अपीलिय समिति द्वारा श्री गजराज सिंह के आवेदन दिनॉक 02.05.2013 को मान्य किया गया। अपीलिय समिति द्वारा श्री गजराज सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं का अवलोकन एवं तथ्यों का पुर्न परीक्षण किया गया एवं यह माना गया की श्री गजराज सिंह द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को नजरअंदाज किया गया और उनको अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के विपरित था।

अपीलीय समिति की अनुशंसा के फलस्वरूप श्री गजराज सिंह के विरूद्ध जारी आदेश 1541–42/2011–12 दिनॉक 28.05.2012 को निरस्त किया जाता है। इनको 28.05.2012 से जारी आदेश दिनॉक के मध्य मानदेय एरियर्स की पात्रता नहीं होगी, किन्तु उक्त अवधि को

–2–

पारस चन्द्र जैन
राज्य मुख्य आयुक्त

भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश

राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2661263, 2737446, फैक्स - 2661263
website : bsgmp.net, E-mail: scoutguide_bpl@dataone.in, scoutguide_bpl@hotmail.com

क्र. .... दिनांक..............................

सेवा अवधि (पद वरिष्ठता) मान्य करते हुये जिला संगठक स्काउट के वेतनमान रू0 4000–100–6000/– में वेतन निर्धारित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनॉक से जिला संगठक स्काउट, जिला सीहोर में पदस्थ किया जाता है।
(अपीलिय समिति द्वारा अनुमोदित)

(पारस चन्द्र जैन)
राज्य मुख्य आयुक्त

पृ0क्र0/ 47 /रा0मु0/स्था./2016 भोपाल, दिनॉक 18/07/2016
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संचालक, भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
4. राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड, राज्य मुख्यालय, भोपाल।
5. राज्य संगठन आयुक्त/राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट/गाइड, राज्य मुख्यालय भोपाल।
6. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड संभागीय........................ ....मुख्यालय।
7. लेखाधिकारी/गणक, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय भोपाल।
8. संबंधित श्री गजराज सिंह संविदा जिला संगठक स्का., राज्य मुख्यालय भोपाल।
9. स्थापना कक्ष, राज्य मुख्यालय भोपाल।
10. व्यक्तिगत सेवा पुस्तिका।

(पारस चन्द्र जैन)
राज्य मुख्य आयुक्त